

P3
A-4

AAH/4
2079/13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No./2013

Md. Rayees Ahmad. Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Others. Respondents.

Sub: Selection Matter (Primary Teacher)

INDEX

<u>Sl. No.</u>	<u>Annexure</u>	<u>Particulars</u>	<u>Page No.</u>
1		Writ Application with Affidavit.	1 --- 11
2	1	Copy of apply receipt dated 17.11.2008.	12
3	2	Copy of merit list dated. 05.01.2009	13
3	3	Copy of Order dated 11.08.2010.	14-15
4	4	Copy of Consent Letter dated 21.12.2010.	16
5	5	Copy of Application dated 20.01.2011.	17
6	6	Copy of Order dated 16.01.2013.	18-22
7		Vakalatnama	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No./2013

Md. Rayees Ahmad. Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Others. Respondents.

SYNOPSIS

This writ application is being filed in the nature of Certiorari, or any other appropriate writ, order, orders or direction for quashing the order dated 16.01.2013, passed by the respondent no-4, the Zila Shikshak Niyojan Appellate Tribunal, Madhepura vide in Appeal No. 105/2011 (contained in Annex- 5) whereby and where under the learned Member of the Tribunal, dismissed the appeal of the petitioner on extraneous grounds.

And also, a writ, order orders or direction to the respondent authorities to appoint the petitioner on the post of Urdu teacher under the Gram Panchayat Raj Jajhar Sabaila, as the petitioner having higher marks in the eligible qualifying examination

Date of Events:

- 17.11.2008 The copy of the apply receipt.
05.01.2009 The copy of merit list.
11.08.2010 The order of the Zila Shikshak Niyojan Appellate Tribunal,
21.12.2010 The copy of the consent letter no. 63.
20.01.2011 The petitioner gave an application to the District Magistrate.
16.01.2013 The Zila Shikshak Niyojan Appellate Tribunal finally passed the impugned order.

Hence, this Writ Application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No./2013

In the matter of an application under Article 226
of the Constitution of India,

AND

In the matter of:

Md. Rayees Ahmad son of Md. Israil.

Resident of Village- Gosai Tola, P.O- Tulsibari, P.S & District-
Madhepura. ----- Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar,
2. The Director, Primary Education, Human Resource Department Govt.
of Bihar
3. The District Magistrate, Madhepura
4. The Zila Shikshak Niyojan Appellate Tribunal at Madhepura, District
Madhepura.

5. The District Superintendent of Education cum District Education Officer, District- Madhepura.
6. The Block Development Officer, Block- Singheswar, District- Madhepura.
7. The Block Extension Education Officer, Block- Singheswar, District- Madhepura.
8. Mukhiya, Gram Panchayat Raj- Jajhar Sabaila, Block- Singheswar, District- Madhepura.
9. Sachiv, Gram Panchayat Raj- Jajhar Sabaila, Block- Singheswar, District- Madhepura.

10. Md. Firoz Alam son of Md. Islam.
 Resident of village - Maheshpur, P.O. - Nemua
 P.S & DIST, SUPAUL, _____ Respondents.

To, The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of judicature at Patna, and her companion justices of the Said Hon'ble Court.

The humble application on behalf of the petitioner above named:

Most Respectfully Sheweth:

1. That, this is an application for invoking the writ jurisdiction of this Hon'ble Court for following reliefs.

- I. For issuance of a writ of certiorari or any appropriate writ, order, orders direction for quashing the order dated 16.01.2013, passed by the respondent no-4, the Zila Shikshak Niyojan Appellate Tribunal, Madhepura vide in Appeal No. 105/2011 (contained in Annex- 5) whereby and where under the learned Member of the Tribunal, dismissed the appeal of the petitioner on extraneous grounds.
 - II. For issuance a writ, order orders or direction to the respondent authorities to appoint the petitioner on the post of Urdu teacher under the Gram Panchayat Raj Jajhar Sabaila, as the petitioner having higher marks in the eligible qualifying examination
 - III For granting of any relief or reliefs for which the petitioner may be entitled and deem fit and proper.
2. That, the following substantial questions of law are involved in this writ application.
- i) Whether the respondent no-4 the Zila Shikshak Niyojan Appellate Tribunal dismissed the appeal of the petitioner without considering the facts and circumstances of the case?
 - ii) Whether the impugned order passed by respondent no-4 completely relying upon the submissions made by the respondent

no-9, the Sachiv of the Gram Panchayat, and denied the essential fact as the petitioner having 82.58% marks which is higher than other appointed candidates?

- iii) Whether the impugned order passed by the respondent no-4 is justified without considering that the petitioner from beginning contesting for his appointment in the same post as Panchayat teacher?
- iv) Whether the respondent no-4 has failed to consider that the respondent no-9 has committed the serious error of record while presenting it before him?
- v) Whether the respondent no-4 passed the impugned order without considering that the petitioner was remained present during the course of appointment proceeding and also in later proceeding of hearing?
- vi) Whether the petitioner can be deprived to his appointment if the petitioner deserves as per norms and rules provided in this regards?
- vii) Whether the action of the respondent authorities is malafide, arbitrary as well as the abuse of the power due to the wrong and ulterior motive?

- viii) Whether the actions of the respondent authorities are against the principles of natural justice?
 - ix) Whether the actions of the respondent authorities are violative of provisions of Constitution of India?
 - x) Whether the actions of the respondent authorities are otherwise bad in law and facts as such the same required interference with extend to the setting aside/quashing the impugned order?
3. That, the petitioner is a citizen of India and residing within the jurisdiction of this Hon'ble Court.
4. That, the brief facts leading to this application is that on the basis of advertisement the petitioner applied for the post of Panchayat teacher as urdu teacher under the Gampanchayat Raj, Jajhar Sabaila on 17.11.2008 of Singheswar Block in Madhepura district

A true/photo copy of the apply receipt dated
17.11.2008 is annexed herewith and marked as
Annexure-1 to this writ application.

5. That, it is stated and humbly submitted that after receiving the application from candidates the concern authority prepared a Merit List, but the name of the petitioner not included in the said list even

having marks in qualifying examination than other applicants of the Merit List.

A true/photo copy of merit list dated 05.01.2009 is annexed herewith and marked as Annexure -2.

6. That, it is humbly submitted that the petitioner raised his objection in regards to manipulation of the merit list but the respondent authorities not considered the same and the petitioner filed an appeal before the Zila Shikshak Niyojan Appellate Tribunal, Madhepura.
7. That, on the basis of the appeal of the petitioner, the learned Member, Zila Shikshak Niyojan Appellate Tribunal passed an order vide order dated 11.08.2010 in Appeal No. 679/2009, in which it find that the Sachiv of Gram Panchayat Raj has admitted mistake in preparation of merit list and order has been given for fresh counseling by the Tribunal.

A true/photo copy of the Order dated 11.08.2010 is annexed herewith and marked as Annexure 3 to this writ application.

8. That, it is stated and humbly submitted that the Shikshak Niyojan Committee again initiated its proceeding for appointing the Panchayat teachers as directed by the learned Member, Zila Shikshak Niyojan Appellate Tribunal in the said Gram Panchayat Raj.

9. That, the Shikshak Niyojan Committee took consent from the petitioner vide consent Letter no. 63 dated 21.12.2010 for joining him the Panchayat Teacher for the post of Urdu teacher, and the petitioner gave his consent.

A true/photo copy of the Consent Letter dated 21.12.2010 is annexed herewith and marked as Annexure-~~4~~ to this writ application.

10. That, it respectfully submitted that the petitioner after giving his consent and completion of counseling proceeding , was eager to join the post of Panchayat Teacher, but the respondent authority by making manipulation in the list again not included the name of the petitioner with making reason that the petitioner not appeared in the counseling.

11. That, the petitioner being frustrated with the conduct of the appointing authority gave an application on 20.01.2011 to the respondent no- 3, the District Magistrate, Madhepura and the respondent no-3 sent it to the District Superintendent of Education.

A true/photo copy of the Application dated 20.01.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-~~5~~ to this writ application.

12. That, the petitioner finally filed an appeal again before the Zila Shikshak Niyojan Appellate Tribunal vide Appeal No. 105/2011, and raised his grievances, the Member of the Tribunal after hearing the case of the petitioner, passed an order on 16.01.2013.

A true/photo copy of the Order dated 16.01.2013 is annexed herewith and marked as Annexure-6 to this writ application.

13. That, it is respectfully submitted that the respondent no-4, the Tribunal, relied upon the false written statement and submission of the respondent no. 9, the Sachiv, Grampanchayat, and not considered the genuineness of the documents, passed the impugned order and dismissed the appeal of the petitioner.

14. That, the Zila Shikshak Niyojan Appellate Tribunal, (Annex-2)gave clear direction to include the name of the petitioner in Merit List, and conduct a fresh counseling, but the respondent authorities not complied the same according to the provisions.

15. That, the Shikshak Niyojan Committee not included the name of the petitioner even after taking signature of the petitioner in consent letter, and later on gave written statement before the Appellate Tribunal that the petitioner not appeared in the counseling

16. That, the action of the respondent no-9 is malafide, arbitrary and illegal in the eye of law, but the learned Appellate Tribunal relied upon the same and passed the impugned order.
17. That, the respondent authorities have liable to deprive the legal right of the petitioner, not appointing in the post of Panchayat Teacher as he is a deserving candidate.
18. That, in view of the discussion made above and taking into consideration in its totality, the facts and the law it is an appropriate that the writ petition may be allowed and reliefs as sought for, under Para-1, to this writ application may be granted in favour of the petitioner.
19. That the action of respondent authorities is against the principles of natural justice as well as against the provisions provided in this regards.
20. That the petitioner shall suffer irreparable loss and injury of the order as contained in Annexure-5, is allowed to stand.
21. That the writ petitioner has no other efficacious and/ or alternative remedy against the impugned order except by filing this writ application.

22 That the petitioner has not earlier moved against the impugned order of the instant case before this Hon'ble Court.

It is, therefore, prayed that Your Lordships may be pleased to issue a Rule NISI, asking the respondents to show cause as to why the prayer made in Para-1 of this writ petition be not allowed and after the return of the Rule and hearing the parties make the Rule absolute.

AND/OR

Pass such other order or orders as may deem fit and proper.

And for this, the petitioner shall ever pray

Affidavit


I, Md. Rayees Ahmad, aged about ³⁹ years son of Md. Israil, Resident of- Village- Gosai Tola, P.O – Tulsibari, P.S &, District- Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am petitioner in this case as such am well conversant with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this application as well as affidavit have been read over explained to me which I have fully understood and same are true to my knowledge
3. That the statement made in paragraph nos. 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14 and 15 are true to my knowledge and those of the statements which are contained in paragraph nos. 4, 7, 9, 11 and 12 are true to my information derived from the records of the case and the rest of the statements are by way of submissions.
4. That the annexure are the true/photo copies of their respective originals

9
मि० रईस अहमद

Annex - 1


(12)



श्री/सुश्री, श्रीमती 7 मा. 254 31243 से नगर शिक्षक / ग्राम शिक्षक / पंचायत शिक्षक पद पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में

आवेदन प्राप्त किया गया जिसकी फाईल संख्या 4926

दिनांक - 17.12.08


प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर नाम
(मुहर के साथ)

पंचायत अजहर सबेल

ग्राम पेचाहत जजहर बसोबेला प्रवाण्ड सिंहेखर (मध्यपुर) शिक्षक नियोजन वर्ष-08 (4 न्यंथारित अनुपातित उई पुरुष कौटि कटप अंक 84.75% के अनुसार - नेवा सूची

क्रमांक	अर्थ्यायी का नाम :-	पिता / पति का नाम	आयुष्य	पुंस	शिक्षा	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत
1	मो० कमल अहमद रहमानी	जिवाइडीन रहमानी	15.10.71	15	उ०	1017	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%
2	मो० रईस	मो० इसरइल	15.11.71	16	उ०	1016	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%
3	मो० फिरोज आलम	मो० ईबलाम	31.12.73	19	उ०	0160	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%
4	रखीर इरहमान	रखीब ईरहमान	1.6.1974	19	उ०	0150	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
5	मो० माकूम आलम	मो० अफीर इईन	8.8.75	19	उ०	1010	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%
6	नूर रहमन	मो० तालीम इईन	1.1.77	18	उ०	0808	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%	84.75%

मो० अफीर इईन
5.1.09

Page-13

ANNEXURE - 2


ग्राम पंचायत जजहट सवैला प्रखण्ड सिंहेश्वर (मधेपुरा) शिक्षक नियोजन वर्ष 08 संघारित अप्रशिक्षित उर्दू पुरुष कोटि

कटप अंक 84.75% के अनुसार मेधा सूची

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	कोटि	लिंग	मैट्रिक / इण्टर का प्राप्तांक	प्रतिशत अंक	अधिभार	मेधा अंक	उत्तीर्ण वर्ष	महाविद्यालय का नाम	अभियुक्ति
1	मो० कमाल अहमद रहमानी	जियाउद्दीन रहमानी	15.01.1978	सामान्य	पु०	1017	84.75%	-	84.75%	2007	मदरसा हालिया गाढा मानपुर	
2	मो० रईस	मो० इसराइल	15.11.1978	सामान्य	पु०	991	82.58%	-	82.58%	2007	मदरसा रहमानिया गाढा	
3	मो० फिरोज आलम	मो० ईसलाम	31.12.1980	सामान्य	पु०	960	80%	-	80%	2008	मदरसा ईस्लामिया अरबिया छिटकी हनुमान नगर सुपौल	
4	सकीर उर्रहमान	हसीब उर्रहमान	01.06.1974	सामान्य	पु०	950	79%	-	79%	2008	मदरसा हुसैनिया मार्डेन खगडिया	
5	मो० मासूम आलम	मो० जफीर उद्दीन	15.02.1988	सामान्य	पु०	921	76.25%	-	76.25%	2008	मदरसा मोहमदिया सुपौल	
6	नूर हसन	मो० तालीम हुसैन	01.01.1977	सामान्य	पु०	889	74.08%	-	74.08%	1990	मदरसा ईराहल मुस्लीम तैलयारी मधेपुरा	

ह० / - अस्पष्ट
अध्यक्ष

ह० / - अस्पष्ट
05.01.09



प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	लिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant. Annex-3
--	--	--	--	---

न्यायालय

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार मण्डलपुरा

- अपील नं० - 134/09 राधे कुमार
 केस 10 - 733/09 मोह मूर्तजा
 अपील 10 - 679/09 मोह रईस अहमद
 अपील 10 - 438/09 राजेंद्र प्रकाश भादव
आदेश




11-8-10

उपरोक्त चारों अपील एक ही पंचायत से संबंध रखती हैं और पंचायत सचिव ने अपना प्रतिवेदन एक ही साथ दिया है। अतः आदेश एक साथ पारित किया जा रहा है।

अपील नं० - 134/09 के आवेदक राधे कुमार पिछड़ी जाति के अनुभवी अभ्यर्थी हैं और इनका मौजूदा एक अनुभव नोटिफिकेशन 89-77 है इनका आरोप है कि इनसे कम मेरजा अंक वाले अभ्यर्थियों का मेरजा सूची में नाम अंकित है और काउन्सिलिंग कराया गया है। इनका आरोप है कि इनका नाम मेरजा सूची में दर्ज किया जाय और काउन्सिलिंग कराया जाय। पंचायत सचिव ने प्रतिवेदन दिया है कि मूलतः इनका नाम पूरा गया है। अतः पंचायत सचिव द्वारा पंचायत अजहद रखेला इनका नाम मेरजा सूची में नोटिफिकेशन 89-77 काउन्सिलिंग कराये।

P.T.O




प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.



अपील नं० - 733/७९ के आवेदक मीर सुजाना का आरोप है कि इनका नाम मैजा सूची के क्रमांक 4 पर नाम है। लेकिन काउन्सिलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। पंचायत सचिव ने लिखकर दिया है कि मूलवश इनका काउन्सिलिंग के लिए नाम ~~सूची में दर्ज नहीं हुआ है।~~ ~~अतः काउन्सिलिंग कराने का आदेश दिया गया पंचायत सचिव द्वारा काउन्सिलिंग कराये।~~

अपील नं० - 679/७९ मीर रईस अहमद ने उर्दू विषय के माध्यमिहित अर्जारी हैं। इनका मैजा सं० 82.58 है। इनसे कम सं० वाले अर्जारी का नाम मैजा सूची में है और काउन्सिलिंग कराया गया है। पंचायत सचिव अपनी भूल स्वीकार करते हैं। अतः पंचायत सचिव को आदेश दिया जाता है कि इनका नाम मैजा सूची में दर्ज कर - काउन्सिलिंग कराये।

अपील नं० 438/७९ के आवेदक राजेंद्र प्रसाद यादव का आरोप है कि ये माध्यमिहित अर्जारी हैं और मैजा सूची में इनका नाम अंकित है लेकिन उन्हें काउन्सिलिंग पत्र नहीं भेजा गया।



प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.



पंचायत सचिव अपना मूल स्वीकार करते
 हैं। अतः आदेश दिया जाता है कि आवेदक
 राजेन्द्र शसाद यादव का कॉन्सिलिंग करावें।
 पंचायत सचिव को आदेश दिया जाता है कि
 परीक्षा के अनुसार अभ्यर्थियों को चयन करें।
 उपरोक्त आदेशानुसार अपील निष्पावित
 किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि
 यह मूल का मफज है।

11.8.10
 सदस्य
 जिला शिक्षक नियोजन
 अकीलीय प्राधिकार
 मपीपुरा

प्रमाणिकरण शुल्क
 7.55
 तुलन

COMPARED BY
 Comparing Clerk

Certified to be a true
 Head Clerk
 U/S 76 Act, 1 of 1872

न्यायालय

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार मधेपुरा,

अपील न० 134/09 राधे कुमार

केस न० 733/09 मो० मुर्तुजा

अपील न० 679/09 मो० रईस अहमद

अपील न० 438/09 राजेन्द्र प्र० यादव

आदेश

11.8.10 उपरोक्त चारो अपील एक ही पंचायत से संबंध रखता है और पंचायत सचिव ने अपना प्रतिवेदन एक ही साथ दिये है। अतः आदेश एक साथ पारित किया जा रहा है।

अपील न० 134/09 के आवेदक राधे कुमार पिछड़ी जाति के अप्रशिक्षित अभ्यर्थी है और इनका मेधा अंक अनुभव जोड़कर 89.77 है। इनका आरोप है कि इनसे कम मेधा अंक वाले अभ्यर्थियों का मेधा सूची में नाम अंकित है और काउन्सिलिंग कराया गया है। इनका प्रार्थना है कि इनका नाम मेधा सूची में दर्ज किया जाय और काउन्सिलिंग कराया जाय। पंचायत सचिव ने प्रतिवेदन दिया है कि भूलवश इनका नाम छूट गया है। अतः पंचायत सचिव ग्राम पंचायत जजहर सबैला इनका नाम मेधा सूची में जोड़ कर काउन्सिलिंग करावे।

अपील न० 733/09 के आवेदक मो० मुर्तुजा का आरोप है कि इनका नाम मेधा सूची के क्रमांक 4 पर नाम है। लेकिन काउन्सिलिंग के लिए नहीं बुलाया गये। पंचायत सचिव ने लिखकर दिया है कि भूलवश इनका काउन्सिलिंग नहीं हुआ है। अतः काउन्सिलिंग कराने का आदेश दिया गया पंचायत सचिव इनका काउन्सिलिंग करावे।

अपील न० 679/09 मो० रईस अहमद ने उर्दू विषय के अप्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं इसका मेधा अंक 82.58 है। इनसे कम अंक वाले अभ्यर्थी का नाम मेधा सूची में है और काउन्सिलिंग कराया गया है। पंचायत सचिव अपनी भूल स्वीकार करते है। अतः पंचायत सचिव को आदेश दिया जाता है कि इनका नाम मेधा सूची में दर्ज कर काउन्सिलिंग करावे।

15

अपील सं० 438/09 के आवेदक राजेन्द्र प्रसाद यादव का आरोप है कि ये प्रशिक्षित अभ्यर्थी है और मेधा सूची में इनका नाम अंकित है लेकिन इन्हें काउन्सिलिंग पत्र नहीं भेजा गया।

पंचायत सचिव अपना भूल स्वीकार करते हैं। अतः आदेश दिया जाता है कि आवेदक राजेन्द्र यादव का काउन्सिलिंग करावे।

पंचायत सचिव को आदेश वरीयता के अनुसार अभ्यर्थियों को चयन करें।

उपरोक्त आदेशानुसार अपील निष्पादित किया जाता है।

ह० अस्पष्ट

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार
मधेपुरा

63

सहमति पत्र

(16)

द्वितीय शिक्षक नियोजन - 2008

जिले का नाम - मैथिलीपुरी

नियोजन इकाई का नाम - अजहर सेवा

में माँ रईस अहमद पिता / पति माँ इस्राईल
 माता श्रीमती मसुदा खानम जन्म तिथि 15/11/1978 पता ग्राम जौहरी 2107
 जोड़ लुकसी रोड बागा के जिला मैथिलीपुरी

आपके पत्रांक दिनांक के आलोक में "बिहार प्रखंड/पंचायत/नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली - 2006" तथा संशोधित नियमावली - 2008 में अंकित शर्तों के अधीन नगर शिक्षक / प्रखंड शिक्षक / पंचायत शिक्षक (नगर/प्रखंड/ पंचायत) के रूप में कार्य करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

प्रस्तुत किए गए पमाण-पत्रों का विवरण

परीक्षा	संस्था का नाम एवं सत्र	उत्तीर्ण होने का वर्ष	रोल नं०	रोल काड	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी
मैट्रिक	के.ए.डी.आर.						
इंटर							
मौलवी	बि० ए० ए० म० ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए०	2007	511	M.A.D	1200	991	ग्राम
प्रशिक्षण/अनुभव का विवरण							

24/12/10
 हस्ताक्षर माँ रईस अहमद
 दिनांक -

Am

(17)

सेवा में जिला प्रदाधिकारी महोदय
मथुरा

विषय:- जनरल सर्वेक्षण पंचायत में उर्दू शिक्षकों के

निर्माण की गारंटी के सम्बन्ध में

D.A.C. Sahab
Maerhampur

जिला शिक्षा अधिकारी महोदय
मथुरा के निजी कार्यालय, जिला शिक्षा
मथुरा के निजी कार्यालय, प्रभाग 11
मथुरा

उक्त में विवेक सहित 119 जनरल सर्वेक्षण
पंचायत में उर्दू शिक्षकों के नियुक्ति के लिए आवेदन किया
में मासिक वेतन रु. 991 का अनुमान है
जिला प्रशासन कर 58 देना है उक्त काम सम्पन्न होने
उर्दू शिक्षकों का निर्माण कर दिया गया है इस आवेदन
के लिए नियुक्ति आवेदन प्राप्त राष्ट्रीय की धारा प्रति संलग्न कराया है।

अतः श्रीमान को यह आवेदन देखा है।
इस सम्बन्ध में जांच कराकर उचित नियुक्ति कराने
की कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं श्रीमान को धन्यवाद देता हूँ।

दिनांक 20-1-11

श्रीमान का पता

मैत्र 234 अल्फा
पेठ कोट इलाहाबाद
ग्राम गौरीगढ़ रोला
पेठ तुलसीवाड़ी
थाना जिला मथुरा

सेवा में, जिला पदाधिकारी महोदय
मधेपुरा।

विषय: जजहर सबैला पंचायत में उर्दू शिक्षकों के नियोजन की गडबडी के सम्बंध में।
महाशय,

सेवा में निवेदन यह है कि मैंने जजहर सबैला पंचायत में उर्दू शिक्षक के नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था मैं मौलवी पास हूँ मौलवी में 991 अंक प्राप्त है। जिसका प्रतिशत 82.58 होता है मुझसे कम नम्बर वाले उर्दू शिक्षक का नियोजन कर दिया गया है इस आवेदन के साथ नियुक्ति आवेदन प्राप्त रसीद की छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ,


अतः श्रीमान को यह आवेदन दे रहा हूँ कि इस सम्बन्ध में जाँच करवाकर उचित नियुक्ति करवाने की दया प्रदान करें। इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा।

दिनांक 20-1-11

श्रीमान् का विश्वास
मो० रईस अहमद
पे० मो० इसराइल
ग्राम गोसाई टोला

A-5

A-6



Annex-6

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा

(18)

अपील वाद सं०- 105/2011

मो० रईस अहमद

- वादी

वनाम

मुखिया ग्राम पंचायत जजहट सबैला,

पंखड- सिंहेश्वर एवं अन्य

- प्रतिवादी

एवं

अपील वाद सं०- 37/2011

राजकिशोर पासवान वगैरह

- वादी

वनाम

जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अन्य

- प्रतिवादी



आदेश

- दोनों अपील नम्बर 105/11 एवं अपील नम्बर 37/2011 पंचायत शिक्षक नियोजन वर्ष 2008 एवं एक ही पंचायत जजहट सबैला से संबन्धित है इसलिए दोनों वादों की सुनवाई एक साथ की गई एवं आदेश एक साथ पारित किया जाता है।
- अपील वाद सं०- 105/2011 के मो० रईस अहमद का आरोप है कि वे जजहट सबैला में पंचायत शिक्षक में नियोजन हेतु आवेदन किया था। वे कौनसीलिंग में भाग लिए और पंचायत सचिव ने सहमती पत्र भी दिया लेकिन पंचायत सचिव ने हेरा-फेरी करके चयन सूची से हटा दिया और इनको नियोजन पत्र नहीं देकर इनसे कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी का नियोजन कर दिया। सहमति पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किए हैं।
- पंचायत सचिव के लिखित बहस के अनुसार केश है कि जजहट सबैला पंचायत में वादी पं० शिक्षक के लिए आवेदन दिया था। प्राधिकार के आदेशानुसार कौनसीलिंग दिनांक 27.12.10 में उपस्थित होने के लिए वादी को पत्र भेजा गया था। पत्र को भेजने का रसीद का फोटो कॉपी दाखिल किया गया है, वह एनेक्सर-2 है। यह पंचायत का पत्रांक-6 दिनांक 21.12.10 है और इसे वादी दिनांक 24.12.10 को प्राप्त किया है। वादी का हस्ताक्षर है। इसके बावजूद भी वादी कौनसीलिंग दिनांक 27.12.10 को उपस्थित नहीं हुए। पंचायत सचिव का यह भी कथन है कि वादी दिनांक 30.12.10 को उनसे जबरदस्ती सहमति पत्र पर हस्ताक्षर वनवा लिया जिसके खिलाफ वे उच्चाधिकारी को प्रतिवेदन दिया। वादी के उक्त सहमति पत्र की फोटो कॉपी दाखिल किया गया है, जो एनेक्सर-3 है, इसमें वादी ने लिखकर दिया है कि 27.12.10 को मैं अनयंत्र कार्यालय एवं पंचायत में उपस्थित था इसलिए मेरा नाम कौनसीलिंग में सामिल कर लिया जाय। उसमें वादी का हस्ताक्षर 30.12.10 का है। पंचायत सचिव का यह भी कथन है कि वादी ने दिनांक 30.12.10 को नियोजन समिति के सामने आवेदन दिया कि मैं कौनसीलिंग तिथि को अनयंत्र कौनसीलिंग में

10/1/13

2779206 2946

BIHAR JUDICIAL -2.2.2013

BIHAR

3.

374150

INDIA

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
COURT FEE
Authorization No. 2037

था इसलिए निर्धारित तिथि को कौनसीलिंग में भाग नहीं लिया था। इस आवेदन का फ्लोटे कॉपी दाखिल किया गया है जो एनेक्सर-4 है। पंचायत सचिव का कथन है कि वादी कौनसीलिंग में भाग नहीं लिया इसलिए इनके नियोजन पर विचार नहीं किया गया था। उन्होंने समय पर सहमति पत्र भी नहीं दिया था।

4. इस अपील के निर्णय हेतु एक ही न्याय विन्दु है कि क्या अधिक मेघा अंक वाले अभ्यर्थी कौनसीलिंग में उपस्थित नहीं हो तो क्या उन्हें नियोजन से वंचित रखा जा सकता है।

5. पंचायत सचिव द्वारा दाखिल किए गए एनेक्सर-2 से प्रतीत होता है कि कौनसीलिंग में भाग लेने की पत्र वादी ने दिनांक 24.12.10 को प्राप्त किया था। एनेक्सर-3 से प्रतीत होता है कि वादी कौनसीलिंग तिथि को उपस्थित नहीं था और वे सहमति पत्र भी उक्त तिथि को नहीं दिए थे। एनेक्सर-3 एवं 4 इसकी सम्पुष्टी करता है। वादी द्वारा सहमति पत्र में दिनांक 21.12.10 तारीख दिया हुआ था। जब वादी ने खुद उपरोक्त वर्णित एनेक्सर में स्वीकार किया कि 27.12.10 को कौनसीलिंग था तो 21.12.10 को सहमति पत्र लेने का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त एनेक्सरों के अवलोकन से पता चलता है कि वादी को कौनसीलिंग की सूचना विधिवत दी गई थी और जिसे वे प्राप्त किए थे। फिर ये कौनसीलिंग में उपस्थित नहीं हुए थे। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने भी सी.डब्लू.जे.सी. नम्बर 8064 / 2007 श्रीमती अमीता कुमारी वनाम बिहार सरकार के मामले में स्पष्ट न्यायादेश दिए हैं कि अगर अभ्यर्थी को कौनसीलिंग की तिथि का विधिवत सूचना दी गई थी तब भी वह कौनसीलिंग में भाग नहीं लिया है तो अधिक मेघा अंक के आधार पर कौनसीलिंग के आधार पर नियोजन को वैधता की चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस केश में वादी का विधिवत कौनसीलिंग की सूचना दी गई थी और वे स्वयं उसे प्राप्त किया था। फिर भी वे कौनसीलिंग में उपस्थित नहीं हुए थे। अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उपरोक्त न्यायादेश के आधार पर वादी का अपील चलने योग्य नहीं है अतः खारीज किया जाता है।

6. अपील वाद सं० 37 / 2011 के वादीगण- राजकिशोर पासवान (2) मो० फिरोज, (3) सुलेखा कुमारी, (4) बीबी सहुना, (5) बीबी सुहेरा वानो ने आरोप लगाया है कि उनलोगों का नियोजन समिति जजहट सबैला पंचायत ने पंचायत शिक्षक में किया था। राजकिशोर पासवान को अनुसूचित जाति के कोटि में नियोजन कर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुंसुरी टोला में पदस्थापन किया। ये दिनांक 30.12.10 को योगदान करने गए तो प्रधानाध्यापक ने योगदान पर रोक लगा दिया। वादी सुलेखा कुमारी का नियोजन महिला अनारक्षित कोटि में किया गया और पदस्थापन उक्त मध्य विद्यालय मुंसुरी टोला में किया और जब वे योगदान करने गईं तो योगदान करने दिया और 04.01.11 को उनके आवेदन को अनुशांसा के लिए अग्रसारित किया। मो० फिरोज आलम का नियोजन अनारक्षित उर्दू कोटि में किया और उनका पदस्थापन उर्दू प्राथमिक विद्यालय में किया गया और वे योगदान किए। बीबी सहुना खातुन का नियोजन अति पिछड़े वर्ग कोटि में उर्दू शिक्षक के रूप में प्राथमिक विद्यालय मजरहट



May 16-1-13





में किया सहुरा वानो का नियोजन पिछड़े वर्ग कोटि के उर्दू शिक्षक में किया और पदस्थापन कन्या प्राथमिक विद्यालय झिटकिया किया। योगदान के बाद प्रधानाध्यापक उ० मध्य विद्यालय मुंसुरी टोला अपने पत्रांक- 4 दिनांक 30.12.2010 के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया कि राजकिशोर पासवान योगदान कर लिए हैं उनके वेतन भुगतान के लिए कार्रवाई करें। उक्त वि० के प्र० अ० ने पत्रांक 04.01.11 के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सिंहेश्वर को सूचित किया कि सुलेखा कुमारी योगदान कर ली है उनके वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाय। प्र० अ० उर्दू प्राथमिक विद्यालय झिटकिया ने अपने पत्रांक- 12 दिनांक 30.12.10 को प्र० शि० पदा०, सिंहेश्वर को सूचित किया कि फिरोज आलम योगदान कर लिए हैं इनका वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाय। प्र० अ० कन्य मध्य विद्यालय मुंसुरी टोला ने प्र० शि० पदा० को सूचित किया कि शिक्षक योगदान कर लिए हैं। इसके बाद दिनांक 20.01.11 को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्रांक- 19 के द्वारा पंचायत द्वारा नियोजन किए गए सभी शिक्षकों का नियोजन अमान्य कर दिया।

7. वादीगण ने यह अपील प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सिंहेश्वर के पत्रांक- 19 दिनांक 20.01.11 को निरस्त करने और इस आदेश को गैर कानूनी करने के लिए यह अपील दायर किया है।
8. सबसे पहले पत्रांक- 19 दिनांक 20.01.11 में दिए गए आपत्ति को दर्शाना आवश्यक समझता हूँ। तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने आपत्ति दर्शाया है कि जिला पदाधिकारी, मधुपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 06.12.10 एवं 20.12.10 को प्रत्येक नियोजन ईकाई को निवेदित किया गया था कि दिनांक 23.12.10 तक मेधा सूची सहित कागजात जिला में जमा करें। दूसरा आपत्ति है कि विभागीय पत्रांक- 1557 दिनांक 24.12.10 को नजर अन्दाज किया। तीसरा आरोप है कि नियोजन की सूचना उनको (प्र० शि० पदा०) निबन्धित डाक से दिनांक 07.01.11 को भेजवाया गया उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर जजहट सबैला द्वारा नियोजित शिक्षकों का नियोजन अमान्य किया जाता है।
9. पंचायत सचिव जजहट सबैला ने अपना लिखित जवाब दिनांक 28.05.11 को दिया है। इनका जवाब है कि इनके पंचायत में पाँच रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थियों ने अपना प्रमाण पत्र के साथ आवेदन दाखिल किया। मेधा सूची में अभ्यर्थियों का नाम प्रकाशित हुआ और ये लोग कौनसीलिंग में भाग लिया। इनका कथन है कि दिनांक 16.12.2010 मेधा सूची एवं अन्य कागजात प्र० वि० पदा० एवं प्र० शि० पदा०, सिंहेश्वर को दिए लेकिन प्र० शि० पदा०, सिंहेश्वर ने प्राप्ती रसीद नहीं दिए तब पुनः नियोजन के दिशा निर्देशन के लिए पत्रांक- 3-4 दिनांक 21.12.10 को भेजा जो उनको प्राप्त हुआ। दिनांक 29.12.10 को नियोजन किया तथा पत्रांक- 17 दिनांक 29.12.10 के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं पत्रांक- 18 दिनांक 29.12.10 के द्वारा प्र० वि० पदाधिकारी, सिंहेश्वर को भेजा। प्रांड विकास पदाधिकारी ने 03.01.11 को प्राप्त किया परन्तु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सिंहेश्वर ने दुर्भावना के कारण प्राप्त नहीं किया तब पत्रांक- 17 दिनांक 29.12.10

(21)

को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निबन्धित डाक से भेजा लेकिन वे जानबुझ कर नियोजन की सूचना जिला शिक्षा अधीक्षक को नहीं दिया। डाक से भेजी गई चिट्ठी का कार्यालय प्रति एवं निबन्धन का रसीद दाखिल किया गया है।

10.

प्र० शि० पदाधिकारी, सिंहेश्वर ने पत्रांक- 19 दिनांक 20.01.11 के द्वारा नियोजन समिति द्वारा किए गए नियोजन को अमान्य निम्नलिखित आपत्ति लगा किया है। पहला आपत्ति है कि समय पर मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया। इस संबंध में पंचायत सचिव ने जवाब दिया है कि जब वे मेधा सूची प्र० शि० पदा० को देने गए तो वे प्राप्ती रसीद नहीं दिए। इसलिए पत्रांक- 3 दिनांक 21.12.10 को उन्हें निबन्धित डाक से पत्र भेजा जिसमें मेधा सूची संलग्न था। पत्र की कार्यालय प्रति दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार उसके साथ मेधा सूची भी संलग्न था यह पत्र रजिस्ट्री डाक से भेजा गया था जिसे प्र० शि० पदा०, सिंहेश्वर के कार्यालय में दिनांक 25.12.10 को प्राप्त हुआ है, प्राप्ती रसीद पर प्र० शि० पदाधिकारी के कार्यालय के मोहर के साथ हस्ताक्षर है। लोक सूचना के अधिकार के अन्तर्गत फिरोज आलम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर से सूचना प्राप्त किया है। जो सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर ने अपने पत्रांक- 1368-2 दिनांक 22.02.11 को दिया है कि जजहट सबैला पंचायत नियोजन ईकाई ने अपने पत्रांक- 17 एवं 18 के द्वारा दिनांक 29.12.10 को किए गए नियोजन की सूचना उनको दि० 03.01.11 को प्राप्त कराया था। जिस पत्र के साथ मेधा सूची एवं नियोजन से संबंधित कार्यवाही का कॉपी लगा हुआ है। कौनसीलिंग में उपस्थिति एवं मेधा सूची सुधार के लिए राधे कुमार, आदि ने मुकदमा न०- 134, 733/09 आदि दायर किया था। इसमें पंचायत की ओर से मेधा सूची दि० 11.08.11 के आदेश के पहले दायर किया था इस अपीलों में आदेश हुआ था कि उनलोगों का कौनसीलिंग कराया जाय। कार्यवाही पुस्तिका दिनांक 15.12.10 के अनुसार उनलोगों को कौनसीलिंग में उपस्थिति हेतु पत्र भेजा गया था। जैसे कि पत्रांक- 3, 5 दिनांक 21.12.10 आदि। कार्यवाही पुस्तिका के प्रस्ताव दिनांक 27.12.10 के अनुसार ये लोग कौनसीलिंग में उपस्थित नहीं हुए थे। इसलिए इनके नियोजन पर विचार नहीं किया गया था। अतः यह स्पष्ट है कि मेधा सूची दि० 11.08.10 के पहले बना था और जिसकी प्रति प्राधिकार को उपलब्ध कराई गई थी। अतः यह आरोप कि मेधा सूची नहीं भेजा गया था सरासर गलत है। यह आरोप वेबुनियाद है। दूसरा आरोप है कि मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक- 1557 का उल्लंघन किया है। इस संदर्भ में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक- 902 एवं पत्रांक- 7/नि० 02- /06-अंश 207 के साथ प्रेस विज्ञप्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य के प्राथमिक विद्यालय में पूर्व घोषित तिथियों को नियोजन नहीं कर पाने वाले नियोजन ईकाई के लिए रिक्त रहने वाले पदों पर मेधा सूची से अभ्यर्थियों का कौनसीलिंग कर नियोजन कर देने हेतु निम्नलिखित तिथियाँ निर्धारित की जाती है। इसके अनुसार पंचायत शिक्षक का नियोजन दि० 29.12.10 एवं 30.12.10 को किया जाना था। उक्त तिथि के अनुसार



16-1-13

नियोजन ईकाई ने वादीगण का नियोजन किया है। अतः प्र० शि० पदा० द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होता है। तीसरा आरोप है कि नियोजन की सूचना निबन्धित डाक से क्यों दी गई। पंचायत सचिव का कथन है कि जब वे नियोजन की सूचना का प्राप्ती रसीद नहीं दिया तब सूचना निबन्धित डाक से दी गई। जिसका पाने की स्वीकृति खुद प्र० शि० पदा० ने अपने विवादित पत्र में किया है कि वे सूचना दिनांक 07.01.11 को प्राप्त किये।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पत्रांक- 19 दिनांक 20.01.11 आधारहीन है और इसे निरस्त किया जाता है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधेपुरा ने अपने पत्रांक- 736 दिनांक 10.09.12 के द्वारा प्रतिवेदन दिया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सिंहेश्वर ने इस पंचायत की नियोजन की सूचना पत्रांक- 19 दिनांक 20.01.11 के साथ दी थी नियोजन की सूचना 07.01.11 को दी गई थी। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलावा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी.डब्लू.जे.सी. न० 4371/2007 विन्दू कुमारी वनाम बिहार सरकार के मामले में दिए गए न्यायादेश की पंचायत शिक्षक के नियोजन के मामला को निरस्त करने का आदेश सिर्फ अपीलीय प्राधिकार को है। अन्य शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अलोक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सिंहेश्वर का पत्रांक- 19 दिनांक 20.01.11 को निरस्त किया जाता है और वादीगण के नियोजन को वैध करार दिया जाता है। और अपील संगत स्वीकृत किया जाता है।

12. संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य ने लिखित आवेदन दिया है कि वादीगण का नियोजन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सिंहेश्वर द्वारा अमान्य करार दिया गया था। इसलिए वादीगण अपने-अपने संबंधित स्कूल में योगदान करने और संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक इन लोगों का योगदान लेकर अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करें। काम नहीं तो वेतन के सिद्धान्त पर ये लोग वेतन हकदार इस आदेश की तिथि के बाद योगदान तिथि से नियोजन पत्र में दिये गये शर्त के आधार पर होंगे। आदेश की प्रति संबंधित पंचायत सचिव एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सिंहेश्वर तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधेपुरा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

प्रमाणिकरण शुल्क

25/-
तुलन लिपिक
02.2.13

COMPARED BY

Comparing Clerk

विश्वासभाजन

16.1.13

सदस्य जिला शिक्षक नियोजन,

अपीलीय प्राधिकारी मधेपुरा।

Head Officer

U/S 76 Act, 1 of 1872